भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 230

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

असम में कटाव और बाढ़प्रवण क्षेत्रों को चिह्नित किया जाना

230. श्री रंजीत दत्ताः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के सोनितपुर, बिश्वनाथ और उत्तरी लखीमपुर जिलों में कटाव और बाढ़प्रवण क्षेत्रों को चिह्नित किया है:

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही पिछले तीन वर्ष के दौरान उक्त जिलों में नदी कटाव की घटनाओं की संख्या और परिणामस्वरूप प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विशेषकर ब्रह्मपुत्र और जिया भराली नदियों के किनारे नदीतट के कटाव को रोकने के लिए कोई केंद्रीय या केंद्र सरकार द्वारा सहायताप्राप्त योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नदी द्वारा कटाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आजीविका सहायता के लिए कोई वित्तीय सहायता जारी की है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही उक्त प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई और जारी की गई निधि कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) एवं (ख): असम सहित देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और कटाव की समस्या अलग-अलग स्तर पर मौजूद है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके ब्रह्मपुत्र नदी का भू-आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन इंगित करता है कि वर्ष 2003-05 और वर्ष 2008-11 के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी खंड में अनुमानित कटाव और जमाव क्रमशः 252.6 वर्ग किलोमीटर और 118.6 वर्ग किलोमीटर था।

केंद्रीय जल आयोग की वर्ष 1986 से वर्ष 2022 तक के उपग्रह इमेजरी के आंकड़ों पर आधारित "भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन" रिपोर्ट के अनुसार, असम में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2.477 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 2.110 मिलियन हेक्टेयर है। असम के सोनितपुर, बिश्वनाथ

और लखीमपुर जिलों में आंका गया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्रमशः 1.172 लाख हेक्टेयर, 0.693 लाख हेक्टेयर और 1.30 लाख हेक्टेयर है।

नदी कटाव की घटनाओं की संख्या और परिणामस्वरूप प्रभावित परिवारों की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन हेतु तकनीकी दिशानिर्देश सहित प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" कार्यान्वित कर रही है। असम में बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत कुल 111 बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है जिनमें ब्रह्मपुत्र और जिया भराली नदियों पर 38 परियोजनाएं शामिल हैं और एक परियोजना चल रही है। मार्च 2025 तक असम को केंद्र सरकार की ओर से 1582.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(घ) एवं (ङ): नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आजीविका सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है।
